


115/2 पत्रावली - पेश । शर्मा अधिवक्ता अकुपलित ।  
 उपस्थित होने हेतु न्यायालय के  
 कार कर्म-कर्म तीन बार आवाज  
 लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं हुआ,  
 ताकी अधिवक्ता वाद पत्र को लेकर  
 गंभीर नहीं । अतः पत्रावली अदम हाजरी,  
 प्रदम पेशी में खारीज की जाती है।

पत्रावली केवल शुद्ध

लेकर दर्ज नबनने से कर्म की जाकर  
 गायित्व से दफ्तार है।



महायक कमिश्नर  
 (S. D. O.) राहा